विकास विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
दूरभाषः 0771–2262540, ई–मेल : development.prsu@gmail.com वेबसाइट : www.prsu.ac.in

क्र.596/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 05/09/2024

द्वितीय रूचि अभिव्यक्ति [Expression of Interest (EoI)] – **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कैन्टीन संचालन हेतु।**

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कैन्टीन संचालन के वार्षिक अनुबंध हेतु सीलबंद लिफाफे में द्वितीय रूचि अभिव्यक्ति [Expression of Interest (EoI)] आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक फर्म रूचि अभिव्यक्ति पत्र कार्यालयीन समय में विकास विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में रू.1000=00 (एक हजार मात्र) का रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsu.ac.in में भी देखा जा सकता है। इच्छुक संस्था को अंतिम तिथि तक सीलबंद रूचि अभिव्यक्ति रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से लिफाफा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में जमा करना होगा। सीलबंद रूचि अभिव्यक्ति के ऊपर "द्वितीय रूचि अभिव्यक्ति–पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कैन्टीन संचालन कार्य हेतु" अंकित करना होगा। रूचि अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शित की जायेगी। संशोधन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नही किया जायेगा।

ई.ओ.आई. प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	– दिनांक 23/09/2024 समय अपरान्ह् 04:00 बजे तक
ई.ओ.आई. प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	– दिनांक 25/09/2024 समय अपरान्ह् 03:00 बजे तक
ई.ओ.आई. खोलने की तिथि	– दिनांक 25/09/2024 समय अपरान्ह् 04:00 बजे तक
ई.ओ.आई. खुलने का स्थान	– कुलपति सचिवालय सभागार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

टीप :– प्रथम रूचि अभिव्यक्ति [Expression of Interest (EoI)] क्रमांक 509/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 24/07/2024

5/9/24

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विकास विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
दूरभाषः 0771–2262540, ई–मेल : development.prsu@gmail.com वेबसाइट : www.prsu.ac.in

रूचि अभिव्यक्ति के तहत नियम व शर्तें

(A) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर परिसर में कैंटिन संचालन हेतु यह रूचि अभिव्यक्ति जारी किया गया है। कैंटिन में विद्यार्थियों/कर्मचारी/अधिकारियों एवं अन्य आगंतुकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ नास्ता, पेय पदार्थ दोपहर एवं रात का भोजन (केवल शाकाहारी) प्रदान करना होगा और परिसर में बैठको/सम्मेलनों/सेमिनार/संगोष्ठियों आदि के दौरान समान सेवाए (मांग अनुरूप) प्रदाय करनी होगी जो कि हाई–टी/पैक्ड नास्ता/दोपहर का भोजन/रात का खाना आदि शामिल रहेगा।

(B)
1. रूचि अभिव्यक्ति के तकनीकी शर्तों में सफल संस्था/फर्म का ही वित्तीय लिफाफा खोला जाएगा।
2. फर्म का चयन अधिकतम रख–रखाव शुल्क एवं न्यूनतम दर पर उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री प्रदाय करने के आधार पर होगा।
3. तकनीकी शर्तों को पूर्ण करने वाले महिला स्वसहायता समूह को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

(C) -
1. रूचि अभिव्यक्ति वाले प्रथम लिफाफे में वांछित सभी अभिलेख एवं दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय पाए जाने पर ही दूसरा लिफाफा अर्थात वित्तीय प्रपत्र वाला लिफाफा खोला जावेगा।
2. फर्म का जी.एस.टी. नम्बर प्रमाण पत्र का छायाप्रति देना होगा।
3. फर्म का पैन कार्ड का छायाप्रति देना होगा।
4. रूचि अभिव्यक्ति जमा करने वाले फर्म को किसी भी बैंक/शासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, का 100/– का नान न्युडिशियन स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. फर्म को तैयार की जाने वाली खाद्य एवं पेय सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।
6. खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंस होना चाहिए।
7. विगत तीन वर्षो का औसत 15=00 लाख का टर्न ओवर का सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रति।
8. सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि राशि रू.50,000=00 (पचास हजार मात्र) की (डी.डी.) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
9. जल, विद्युत का वास्तविक व्यय फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
10. फर्म के द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय/विश्वविद्यालय में कैन्टीन संचालन का कम से कम 02 वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है।
11. संबंधित फर्म का कार्यकाल 01 वर्ष का होगा (अनुबंध तिथि से)। कार्य संतोषजनक होने पर कार्यकाल को एक–एक वर्ष करके दो बार बढ़ाया जा सकता है। अर्थात कुल कार्यकाल 03 वर्ष का होगा।

12. फर्म द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। पहले लिफाफे के उपर तकनीकी प्रस्ताव तथा दूसरे लिफाफे के उपर वित्तीय प्रस्ताव लिखा जाना चाहिये। दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे के भीतर रखकर सीलबंद कर कार्य का नाम **"द्वितीय रूचि अभिव्यक्ति–पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कैन्टीन संचालन कार्य हेतु"** अंकित करते हुए कुलसचिव, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से जमा करना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् ई.ओ.आई. प्राप्त नहीं किया जायेगा।

13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का निर्णय अनिवार्य रूप से मान्य होगा। न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उच्च न्यायालय बिलासपुर रहेगा।

14. अनुबंध अवधि के दौरान भी, डिफाल्ट मामले/अनुबंध शर्तो का पालन नहीं होने पर विश्वविद्यालय अनुबंध समाप्त कर सकता है। ऐसे मामलो में नोटिस जारी होने के 48 घंटे के भीतर परिसर खाली करना होगा।

15. विश्वविद्यालय प्रशासन, गठित समिति/अधिकारियों के माध्यम से बिना किसी बाधा के परोसी/बेची जाने वाली खाद्य सामग्री एवं उपभोग्य सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर निरीक्षण कराने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

16. छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 के उपनियम 4.2 के अनुसार "निविदा की शर्तों का निर्धारण क्रेता द्वारा किया जाएगा। परन्तु छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्ट–अप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने के दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, को निविदा प्रक्रिया में निम्नानुसार लाभ प्राप्त होंगे –
    1. पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी ।
    2. उस पर पूर्व टर्नओवर संबंधी कोई शर्त अधिरोपित नहीं होगी।

17. छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 के उपनियम 4.7(ब) एवं 4.7(स) के अनुसार प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा की औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक–54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया गया है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हे शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जायेगी। इकाईयों द्वारा उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हे छूट प्राप्त होगी।

18. फर्म द्वारा प्रस्तुत ई.ओ.आई प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का हस्ताक्षर एवं सील लगा होना चाहिए।

(D) रूचि अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाले संस्था हेतु आवश्यक सामग्री/सुविधाओं की जानकारीः–

1. हाउसकीपिंग खर्च :– कैंटिन एवं आवश्यकतानुसार विभागों में हाउसकीपिंग का वहन संबंधित फर्म का होगा।
2. पेयजल सुविधा :– फर्म को उचित संस्था में वाटर कूलर, प्यूरीफायर आदि की व्यवस्था/स्थापना अपनी लागत पर करनी होगी।
3. वेंटिलेशन की व्यवस्था :– फर्म को रसोई में धुँए आदि के उचित वेंटिलेशन के लिए चिमनी/निकास पंखा आदि की व्यवस्था करनी होगी।
4. डिजिटल लेनदेन :– फर्म को डिजिटल लेनदेन के लिए स्वाइप मशीन, भीम एप आदि सुविधाकारी व्यवस्था करनी होगी।
5. फर्नीचर एवं बर्तन :– फर्म को बर्तन, खाना पकाने हेतु वाणिज्यिक गैस, फ्रीज, बैठक हेतु टेबल/कुर्सी एवं वातानुकुलन हेतु ए.सी./कूलर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. पैकेट खाने :– पैकेट में उपलब्ध खाद्य सामग्री/पेय पदार्थ उच्च गुणवत्ता का होना होना चाहिए तथा MRP अथवा डिस्काउंट दर पर प्रदाय किया जाना होगा।

टीप :–

1. निविदा पत्र को सावधानीपूर्वक पढ़कर, निर्धारित सभी योग्यता पूर्ण करने वाले व्यक्ति या फर्म, निविदा को निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में जमा करावे, आधे अधूरे, अपूर्ण निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों के प्रावधान भी प्रभावशील होंगे।

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विकास विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
दूरभाषः 0771–2262540, ई–मेल : development.prsu@gmail.com वेबसाइट : www.prsu.ac.in

डिसक्लेमर

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह रूचि अभिव्यक्ति में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह रूचि अभिव्यक्ति भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारी के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवें।
3. रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये गये है। ये दस्तावेज प्रत्येक भाग लेने वाले व्यक्तियों/समूह/संस्था के उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः रूचि अभिव्यक्ति भरने वाले व्यक्ति/समूह/संस्था से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्श प्राप्त करने के उपरांत रूचि की अभिव्यक्ति भरें।
4. रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए कार्यालय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय या उनके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार के उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति में से किसी रूचि की अभिव्यक्ति को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी रूचि की अभिव्यक्ति या सभी रूचि की अभिव्यक्ति को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पास सुरक्षित है।
7. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा विभागीय वेबसाइट www.prsu.ac.in में सूचना प्रकाशित करते हुए, आवश्यक होने पर रूचि अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, रूचि अभिव्यक्ति सूचना की शर्तो में संशोधन, रूचि अभिव्यक्ति दस्तावेजों में परिवर्तन या रूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है।

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विकास विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
दूरभाषः 0771–2262540, ई–मेल : development.prsu@gmail.com वेबसाइट : www.prsu.ac.in

तकनीकी प्रपत्र

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :–...

....

....

2. ई.ओ.आई. प्रपत्र राशि रू.1000=00 (एक हजार मात्र) की जमा शुल्क रसीद/डी.डी. का विवरण :–...

3. कार्य का नाम :– पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर स्थित ''कैन्टीन'' के संचालन कार्य।

4. आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन कार्ड की छायाप्रति :–.......................................

5. फर्म के द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय/विश्वविद्यालय में कैन्टीन संचालन का कम से कम 02 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र :–...

....

6. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र :–...

7. फर्म स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र :–..

8.खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंस :–................................

9.रूचि अभिव्यक्ति जमा करने वाले संस्था/स्व सहायता समूह को किसी भी बैंक/शासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, का 100/– का नान न्युडिशियन स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र :–.......................................

....

10.विगत तीन वर्षो का औसत 15=00 लाख का टर्न ओवर का सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रति।

(फर्म का हस्ताक्षर एवं सील)

विकास विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
दूरभाषः 0771–2262540, ई–मेल : development.prsu@gmail.com वेबसाइट : www.prsu.ac.in

वित्तीय प्रपत्र

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :–..

....

....

2. रख–रखाव शुल्क हेतु प्रति माह दी जाने वाली न्यूनतम राशि रू.15,000=00 (रूपये पंद्रह हजार मात्र)

टीप :– टेक्निकल बीड में सफल निविदाकार के द्वारा रख–रखाव शुल्क रू.15,000=00 से अधिक दर प्रस्तुत करने पर प्राथमिकता दिया जाएगा।

3. संबंधित फर्म के द्वारा कैन्टीन में उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्य सामग्रियों की सूची वजन एवं दर संलग्न करे।

क.	**कैंटिन में उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य सामग्रियों की सूची**	**वजन/मात्रा**	**दर (GST सहित)**

(फर्म का हस्ताक्षर एवं सील)